प्रथम अध्याय

अध्याय–1

शोध परिचय

1.1 प्रस्तावना

हमारे समाज के अन्दर दो प्रकार के रूढ़िबद्ध लैंगिक भूमिकाऐं देखने को मिलती है। समाज के अधिकतर लोगों का दृष्टिकोण लड़का और लड़की की भूमिका के बारे में अलग–अलग होता है। घर के अंदर लड़का लड़की की भूमिका पारंपारिक और रूढ़िबद्ध हो गई है। अधिकतर लोग लड़का लड़की की भूमिका उनके गुणधर्म, क्रियाऐं, मूल्य और व्यवहार के आधार पर पहचानते हैं।

लैंगिक विशष्टताओं में लैंगिक गुणधर्म और अभिवृत्ति एक दूसरे से नजदीकी सम्बन्ध रखती हैं। लैंगिक विशिष्टताऐं जैविक और सामाजिक परिस्थितियों पर आधारित हैं समाज में बच्चों का सामाजीकरण लैंगिक विशिष्टताओं के आधार पर बालपन से शुरू करके तरूणावस्था से होकर परिपक्वता तक पहुंचता हैं। बच्चों के सामाजीकरण में बाल्यवस्था और तरूणावस्था का समय महत्वपूर्ण होता हैं। उसी समय उनका अधिकतर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास होता है और बदलाव भी आता हैं। तरूणावस्था में बच्चों की लैंगिंक भूमिका अधिक शक्तिशाली होती हैं। घर, शाला और समाज में लड़का और लड़की का सामाजीकरण लिंग के आधार पर होता हैं। लड़कों को पुरूष की भूमिका के लिये प्रोत्साहित किया जाता है जैसे की आक्रमकता, प्राबल्य, स्वतंत्रता, साहसिकता, नीडरना, उच्च उपलब्धि आदि। जब की लड़कियों को स्त्री (स्त्रीलिंग) की भूमिका के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे की नम्रतायुक्त, अज्ञापालक, परतंत्र, डरपोक, कम उपलब्धि प्राप्त करने वाली आदि।

बच्चों की शिक्षा में माता–पिता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है जैसे की माता–पिता के द्वारा बच्चों को दिये जाने वाले सकारात्मक पुरस्कार और पुनवर्लन का महत्व अधिक हैं। माता पिता अपने सकारात्मक अनुभव के आधार पर बच्चों को अच्छा बनाने का प्रयत्न करते हैं। बच्चों की लैंगिंक भूमिका में माता–पिता और शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण असर करती हैं। माता पिता और शिक्षक का बच्चों के प्रति व्यवहार और अभिवृत्ति बच्चों को

तरूणावस्था का सामाजीकरण बच्चों पर अधिक असर करता हैं। तरूणावस्था में बच्चों की दुनिया अलग होती हैं, उनका सोचना समजना और व्यवहार में काफी विभिन्नता होती हैं। ये विभिन्नता लिंग के आधार पर होती है और ये लैंगिक वर्तन आगे की जिदंगी में स्थायी बन जाते हैं।

1.2 भारत में स्त्री की शिक्षा और स्त्री का स्थान :–

– वैदिकयुग :–

वैदिक काल में धोषा, गार्गी, मैत्रेयी, शकुन्तला आदि अनेक विदुषी महिलाऐं थी। यह इस बात का प्रमाण है कि उनको पुरूषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। वैदिककाल में स्त्रीयों की शारीरिक रचना की भिन्नता के कारण कोमल मानने के बाद भी समस्त प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने में सक्षम माना गया। नारी की मूल शिक्षा में गृहकार्य, दक्षता, ललितकला तथा वेदों के ज्ञान का प्रमुख स्थान था।

मनुस्मृति के अनुसार माता–पिता का मूल कर्तव्य विवाह पूर्व बालिकाओं को सर्वाग शिक्षा देना था।

– ब्राह्मणयुग :–

ब्राहमण युग में स्त्रियों की स्थिति घर की चार दिवारों में सिमित कर देने से स्त्रीशिक्षा को बहिष्कृत एवं उपेक्षित किया गया। इस कारण उक्त समय की प्रचलित युक्तियां समाज में रूढ़ बन गई जैसे शुद्र एवं नारी को पढ़ाना नहीं चाहिए, स्त्री नरक का द्वार हैं, इत्यादि।

– बौद्धयुग :–

प्राचीन बौद्ध युग में स्त्रियों का स्थान पुरूषों से निम्न होने से उनका संघ में प्रवेश वर्जित था, किन्तु बाद में महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने को आज्ञा देकर उनकी शिक्षा को नवजीवन प्रदान किया। बाद में उनके लिये पृथक विहारों की स्थापना की गई।

– मुस्लिम काल :–

डॉ. [illegible] के शब्दों में :

"पर्दा प्रथा, जिसने छोटी बालिकाओं के अलावा सब मुस्लिम स्त्रियों को एकान्त में बन्द रखा, उनकी शिक्षा को महान कठिनाई का कारण बना दिया।"

पर्दा प्रथा के कारण स्त्री शिक्षा का ह्रास हुआ। पर्दा प्रथा के कारण केवल छोटी या अल्प आयु की बालिकाएं कभी–कभी मकतबों में जाकर प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करती थी। राज्य या समाज की ओर से स्त्रियों की शिक्षा के लिए अलग से कोई शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था नहीं की गई थी। केवल संपन्न घरों की बालिकाओं की शिक्षा का प्रबन्ध उनके घर पर ही कर दिया जाता था। फल स्वरूप निम्न एवं निर्धन वर्ग की बालिकाऐं शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाति थी।

इस काल की कुछ प्रमुख विदुषियों के बारे में बाबर की पुत्री गुलबदन सुल्ताना, रजिया सुल्तान, नूरजहां, मुमताज तथा औरंगजेब की पुत्री जेब्बुन्निसा के नाम उल्लेखनीय हैं। हिन्दु विदुषियों में रानी रूपमती, दुर्गावती, अहिल्याबाई तथा शिवाजी की माता जीजाबाई प्रमुख थी।।

– <u>अंग्रेजी शासनकाल में</u> :–

भारत में 1601 से 1947 तक अंग्रेजो का प्रभाव रहा। इस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में शिक्षा वैसे ही उपेक्षित थी, जो कुछ प्रयास किये थे वे केवल बालकों की शिक्षा के लिये किये गये थे। स्त्री शिक्षा को अनावश्यक मानकर उसकी ओर नाममात्र भी ध्यान नहीं दिया गया। संभवतः इसका कारण यह था कि उन्हें प्रशासकीय एवम् व्यावसायिक कार्यालयों के लिये शिक्षित महिलाओं की आवश्यकता नहीं थी। एतिहासिक दृष्टि से ज्ञात होता है कि सन 1854 से ही अंग्रेजी सरकार ने स्त्री शिक्षा की ओर अपनी थोड़ी बहुत रूचि का संकेत दिया, जिसका आभास निम्न प्रतिवेदनों के अध्ययन से होता हैं।

– <u>वुड डिस्पेच प्रतिवेदन (1854–1882)</u>

वुड डिस्पेच प्रतिवेदन में यह कहा गया कि स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सभी संभव प्रयास किये जाये। भारत में स्त्री शिक्षा के महत्व को समझते हुए सरकार ने लोकनिधि में से बालिकाओं की शिक्षा के लिए सहायता देना प्रारंभ किया।

– **हण्टर कमिशन (1882–1902)**

हण्टर कमिशन ने पहली बार बालिकाओं की शिक्षा के प्रश्न पर विचार किया और निम्नलिखित संस्तुति की :–

- बारह वर्ष से उपर आयुवाली बालिकाओं को शुल्क देने से मुक्त किया गया।
- बालिकाओं को शिक्षित करने के लिये महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति को प्रोत्साहन दिया गया।
- प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के हेतु साधरण पाठयक्रम का प्रावधान रखा गया।
- समुचित पाठयक्रमों की व्यवस्था की गई परन्तु इन सिफारिशों पर सरकार ने कोई ठोस कदम नही उठाये।

– **स्वतंत्र भारत में स्त्री शिक्षा :–**

15 अगस्त 1947 को भारत परतंत्रता की बेडियों तोड़कर स्वतंत्र हुआ। तत्पश्चात स्त्री–शिक्षा की दिशा में सक्रिय कदम उठाए गये।

(1) विश्व विद्यालय आयोग (1948–1949)

डॉ. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने स्त्री शिक्षा के महत्व एवं आवश्यकता पर पर्याप्त बल दिया। इस आयोग के प्रमुख सुझाव निम्नलिखित थे।

- स्त्रियों को पुरूष समान शैक्षिक अवसर प्राप्त होने चाहिए।
- ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि स्त्रियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्राप्त हो सके ताकि अच्छी माता और अच्दी गृहीणी बन सके।
- स्त्रियों की शिक्षा में गृहशास्त्र और गृह प्रबंध को समुचित शिक्षा का प्रावधान अवश्य हो उन्हें इन विषयों के लिये अधिक प्रेरित किया जाए।
- स्त्रियों को अपने हितों के अनुकूल शिक्षा प्राप्त करने में योग्य पुरूषों और

सन् 1947 में भारत में स्वतंत्र सरकार ने देश की बागडोर संभाली। 26 जनवरी 1950 को भारतीय जनता ने स्वयं को अपना संविधान निष्ठापूर्वक अर्पित किया।

(2) भारतीय संविधान में स्त्री शिक्षा

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (1), 16 (1), 16 (2) में उल्लेखित है कि किसी भी नागरिक से लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा। भारतीय संविधान की धारा 15 के अनुसार "राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म जाति, लिंग, जन्म के स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।"

(3) राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (1958)

भारत सरकार ने सन् 1958 में स्त्री शिक्षा पर विचार करने हेतु श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की नियुक्ति की। इस समिति ने नारी शिक्षा पर संबंधित समस्याओं पर विचार कर अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत करते हुए निम्न सिफारिशें की –

- सरकार को स्त्री शिक्षा को कुछ समय के लिये विशिष्ट समस्या के रूप में स्वीकार करना चाहिए एवं उसके प्रसार का भार अपने उपर लेना चाहिए।
- सभी राज्यों के लिये केन्द्र सरकार को स्त्री शिक्षा के लिये नीति निर्धारित कर इस नीति के क्रियान्वयन हेतु अधिक धन उपलब्ध कराना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के प्रसार हेतु विशेष प्रयास किये जाये एवं व्यय केन्द्र सरकार वहन करे।
- राज्यों में स्त्री शिक्षा का प्रसार करने के लिए बालिका एवं स्त्री शिक्षा की राज्य परिषदों का गठन किया जाना चाहिए।
- प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को शिक्षा की अधिक सुविधाए उपलब्ध कराई जाए।

(4) राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद (1959)

देशमुख समिति को स्वीकार करके केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 1959 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन किया।

इसके प्रमुख कार्य अधोलिखित है।

- विद्यालय स्तर पर बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा के प्रसार और प्रचार

- उक्त क्षेत्रों में बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा के प्रसार और सुझाव की रीतियों, कार्यक्रमों आवश्यकताओं आदि के बारे में सुझाव देना।
- उक्त क्षेत्रों में व्यक्तिगत प्रयासों के अधिकाधिक उपयोग के उपाय सुझाना।
- स्त्री शिक्षा के पक्ष में जनमत संग्रह करना।
- किए गए कार्यो की प्रगति का मूल्यांकन एवं भावी प्रगति की योजनाए बनाना।
- स्त्री शिक्षा की समस्याओं पर अनुसंधान करना, सर्वेक्षण करना, सेमिनार करना या आवश्यकता होने पर समितियों का गठन करना।

(5) हंसा मेहता समिति (1962)

राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति ने बालक एवं बालिकाओं के पृथक पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं संभावना पर विचार करने के लिये श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने दो सुझाव प्रस्तुत किए।

- विद्यालय स्तर पर बालिकाओं व बालकों के पाठयक्रमों में अन्तर नहीं होना चाहिए।
- भारत में जनतंत्रीय समाज निर्माण की प्रक्रिया के चलते अन्तः कालीन अवधि में बालक एवं बालिकाओं के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक भेदों पर आधारित पृथक–पृथक पाठयक्रम का निर्माण करना चाहिए।

(6) शिक्षा आयोग (1964–66)

शिक्षा आयोग ने बालिकाओं की शिक्षा के लिये निम्न संस्तुतियाँ प्रस्तुत की है –

- बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों की समानता प्रदान कराई जानी चाहिए।
- बालिकाओं की शिक्षा में केन्द्र तथा राज्य दोनों रूचि लें।

- स्त्री शिक्षा कार्यक्रम हेतु धन, प्राथमिकता के आधार पर प्रदान किया जाये।
- छात्राओं हेतु छात्रवृति व छात्रावास की व्यवस्था की जाए।

(7) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)

महिलाओं की समानता के लिये शिक्षा हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा पी.ओ.ए. में निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए –

- बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा का सम्बन्ध चरणबद्ध कार्यक्रम (विशेषकर 1990 तक प्राथमिक स्तर तक 1995 तक उच्च प्राथमिक स्तर तक) बनाया गया।
- 1995 तक 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग में महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा का समयबद्ध कार्यक्रम तय किया गया।
- तकनीकी, व्यावसायिक तथा विद्यमान उभरती हुई प्रौद्योगिकी शिक्षा में महिलाओं के लिये अवसर बढ़ाना।
- महिलाओं की समानता बढ़ाने वाले शैक्षिक कार्यकलापों की समीक्षा तथा पुर्नगठन के प्रावधान किए गए।

(8) प्रोफेसर राममूर्ति समिति (1991)

बालिका शिक्षा पर इसके सुझाव निम्नलिखित है –

- अध्यापिकाओं की अधिक से अधिक नियुक्ति की जाए।
- विद्यालयों में पोषण, स्वास्थ्य एवं बाल विकास का समावेश किया जाए।
- विभिन्न स्तरों पर महिला अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की जाए।
- महिला शिक्षा के लिए अलग से धन का प्रावधान किया जाए।
- छात्रवृत्तियां, मुक्त पाठ्य–पुस्तकों का वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन अधिक से अधिक दिये जायें।

1.3 महिला शिक्षा की वर्तमान स्थिति

LIBRARY

बालिकाओं/महिलाओं की शिक्षा के प्रचार व प्रसार के लिये जो मिश्रित प्रयास किए गए उनके फलस्वरूप आज की भारतीय नारी के गौरव व उसके मानवीय, शैक्षिक व आर्थिक, स्तर में न केवल बढ़ोतरी हुई है बल्कि आज की भारतीय महिलाएं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अहम, भूमिका का निर्वाह करते हुए योगदान दे रही है।

संवैधानिक प्रावधानों प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण, सबके लिए शिक्षा, व सर्व शिक्षा अभियान लागू होने के पश्चात भी आज बालिकाएं बालकों की अपेक्षा पिछड़ी हुई है। यद्यपि बालिकाओं का नामांकन बढ़ाने में पर्याप्त सफलता मिली है। परंतु संविधान के अनुच्छेद 45 में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सन् 1960 तक शत प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाना था, जो सन् 2001–02 तक प्राप्त नही किया जा सका है। और अब **सर्वे शिक्षा अभियान** में उसका लक्ष्य सन् 2010 तक रखा गया।

1.4 अध्ययन की आवश्यकता :–

परिवार समाज का आधार भूत संस्थान है और इसमें माता–पिता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बच्चों के सामाजीकरण में माता–पिता और परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका अहम होती है। जातियता के प्रति रूढ़िबद्धतों का उदभव और विकास परिवार से ही शुरू होता है और इसके बाद ही जातियता के प्रति रूढ़िबद्धता समाज के अन्य संस्थानों में फैलती हैं। इसलिये बालकों के प्रति अभिभावकों के व्यवहार में जातिय रूठिबद्धता का अध्ययन करना आवश्यक बनता हैं। अध्ययन के द्वारा ही हम परिवार में बच्चों के प्रति जातिय (लैगिक) रूढ़िबद्धता का असर कितना है ये ज्ञात करके उनको दूर करने के सूचन कर सकते हैं।

1.5 समस्या कथन :–

"बालकों के प्रति अभिभावकों का दैनदीन व्यवहार में 'लिंग आचरण' का अध्ययन"

1.6 अध्ययन के उद्देश्य :–

( ) अभिभावकों का बालकों के प्रति रूढिबद्ध व्यवहार का अध्ययन करना।

(2) अभिभावकों का लड़कियों के प्रति रूढ़िबद्ध व्यवहार का अध्ययन करना।

(3) अभिभावकों की 'लिंग समानता' के प्रति अभिवृति और उसकी समज का अध्ययन करना।

(4) अभिभावकों की बच्चों के प्रति 'लिंग आचरण' की तुलना करना।

1.7 परिचालन परिभाषाएं

लैंगिक भूमिका :– (Gender Role)

"व्यक्ति के लिंग के साथ जुड़ा हुया उनके व्यवहार और अभिवृत्ति को लैंगिक भूमिका कहते हैं।"

लैंगिक समानता :– (Gender Equality)

- पुरूष और महिला को उनके जन्म अथवा लिंग के आधार पर नहीं लेकिन उनकी बुद्धि और शक्ति के आधार पर सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आदि क्षेत्रों में अधिकार और उत्तरदायित्व के समान अवसर प्रदान करने को लैंगिक समानता कहते हैं।

लैंगिक हितेच्छुक :– (Gender Friendly)

- लड़का और लड़की के प्रति लैंगिक पक्षपात नही रखके उनकी प्रतिष्ठा के आधार पर उनके प्रति व्यवहार और अभिवृत्ति रखने को लैंगिक हितेच्छुक कहते है।

लैंगिक पक्षपात :– (Gender Bias)

- स्त्री और पुरूष को उनके जन्म अथवा लिंग के आधार पर उनके प्रति पक्षपात पूर्ण व्यवहार और अभिवृत्ति रखने को लैंगिक पक्षपात कहते हैं।

लैंगिक निरपेक्षता :– (Gender Neutral)

- "स्त्री और पुरूष के प्रति लैंगिक निरपेक्षता पूर्ण व्यवहार और अभिवृत्ति रखने को लैंगिक निरपेक्षता कहते हैं।"

लैंगिक आचरण :– (Gender Practices)

"स्त्री और पुरूष को उनके लिंग को ध्यान में रखकर उनसे कार्य (Work) और व्यवहार की अपेक्षा और अभिवृत्ति रखने को लिंग आचरण कहते हैं।"

रूढ़िबद्धता :– (Stereotyping)

"किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत अभिक्षमता, शक्ति और अभिरूची को दुर्लक्षित करके उनके प्रति पूर्वग्रह युक्त व्यवहार की अपेक्षा रखने को रूढ़िबद्धता कहते हैं।"

1.8 समस्या का सीमांकन ।

- प्रस्तुत शोधकार्य गुजरात राज्य के पंचमहाल जिले के संतरामपुर तालुके तक सिमित है।
- प्रस्तुत शोधकार्य नौकरी कर रहे अभिभावकों पर किया गया है।
- प्रस्तुत शोधकार्य उन अभिभावकों पर किया गया है जिनको एक लड़का और एक लड़की है।
- प्रस्तुत शोधकार्य उन अभिभावकों पर किया गया है, जिनके बच्चों की आयु 6 से 14 साल के बीच हैं।